



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-342

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 295411 दिनांक 05/05/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Abhishek Sharma S/o Ashok Kumar Sharma	श्रीमती शकुन्तला देवी शर्मा पत्नि श्री प्रभाती लाल शर्मा	B1	22.22 SQ. YARD	Private	GREEN PARK Sector/Block-B	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed)   Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी की योजना ग्रीन पार्क के भूखण्ड संख्या बी-01 क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 04.12.2012 को श्रीमती शकुन्तला देवी शर्मा पत्नि श्री प्रभाती लाल शर्मा के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का उपहार पत्र दिनांक 03.10.2019 को श्रीमती शकुन्तला देवी शर्मा पत्नि श्री प्रभाती लाल शर्मा के द्वारा श्री अरनेश शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का उपहार पत्र दिनांक 01.07.2025 को श्री अरनेश शर्मा पुत्र श्री अशोक



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

शर्मा के द्वारा श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा के पक्ष में कर दिया गया। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का लीजहोल्ड से फ्री-होल्ड पट्टा विलेख जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Abhishek Sharma S/o Ashok Kumar Sharma को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |